

प्रधक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

जौनपुर।

सेवा में

प्रबन्धक

मौं दुर्गा जी जूहाठस्कूल, बरेयाकाजी, करंजाकला, जौनपुर।

पत्रांक मान्यता / 3574-80 / 2013-14 दिनांक 29-6-13

विषय - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/ महोदया,

जांच अधिकारी/ सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की आलोचा एवं संस्कृति के अनुक्रम में ढ0प्र0 शासन, लखनऊ शिक्षा अनुभाग-6 के आदेश सं0 418/79-6-2013-18एस0(7)/79 दिनांक 08.05.2013 एवं आदेश सं0 419/79-6-2013-18एस0(7)/79 दिनांक 08.05.2013 के द्वारा गठित समिति के नियम दिनांक 29.06.2013 के अनुक्रम में आपके तारीख..... को आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वार्थी प्राप्ताचार/ निरीक्षण के प्रतिनिर्देश मौं दुर्गा जी जूहाठस्कूल, बरेयाकाजी, करंजाकला, जौनपुर को 01.07.2013 से 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 06 से कक्षा 08 तक के लिए अनिवार्य प्रदान करने की सहृदयता देता है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यक्षीयता है -

1. मान्यता के मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/ संवर्धन करने के लिए कोई वापसी विद्यालय नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010(उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या व्यापकता, नरसी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या केप्रतिशत तक आस प्रदास के कमज़ोर वर्ग और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपबंध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपचारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिष्ठित किया जाएगा। ऐसी प्रतिष्ठित प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् साता रखेगा।
5. सांसाडटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी रुक्षित प्रक्रिया के अध्यक्षीयता नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसका जल्दी न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंध के अनुसार का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (i) प्रवेश दिये गये वालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसके विद्यालय से निकासित नहीं किया जाएगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्ण के अध्यक्षीयता नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशासना प्रस्तु/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अव्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन वथा अधिकारित न्यूनतम अंतिकाजों के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यालय अव्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अंतिकाएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अंतिकाएं अंजित करेंगे।
- (vii) अव्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- (viii) अव्यापक व्यवसं को किसी नियुक्ती अव्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पालयवर्च के आधार पर पालयक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यात्रानिर्दिष्ट विद्यालय के बालकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रतुक्तिएँ निम्नानुसार हैं-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल।

कुल निर्मित धोत्र।

18/10/2014
प्रबन्धक
मौं दुर्गा जी जूहाठस्कूल
बरेयाकाजी, जौनपुर

Principal
Maa Durga Ji Jr. High School
Barayia Kazee
Jaunpur (U.P.)

25/05/2015

Signature

क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल।

कक्षाओं की संख्या।

प्रश्नापत्र—सह कार्यालय, सह भांडागार के लिए कक्ष।

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय।

पैदल चुनिधा।

मिठ डे मील पकाने के लिए रसोई।

दावारहित पहुँच।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्ता/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से न तो कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं और न ही अन्य शाखाएं चलाई जाएँ।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तस्मय प्रत्युत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा बलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या समग्र या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी वार्ट अकाउन्टन्स द्वारा संभरीका की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार देखाय किये जाने चाहिए। प्रयोक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवाटित मान्यता कोड संख्याक X है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समीक्षित भरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की क्रमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नदीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. संलग्न उपायबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18. मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत पत्रजाति/अभिलेख पिस्ती भी स्तर पर पर कूट रियत अथवा कर्जों अथवा दूषित पाये जाने पर नियमानुसार मान्यता प्रत्यापित करने की कार्यवाही की जायेगी।

19. विद्यालय संघालन में आने वाला व्यय विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अपने निजी खातों से बहन किया जायेगा।

भवदीय

(राम प्रदेश)

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
जीनपुर।

पृष्ठम् मान्यता/

/2013-14 दिनांक उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुननार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1 संसद उत्तर प्रेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

2 मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(वैसिक), पर्याम मण्डल, वाराणसी।

3 खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकास क्षेत्र जीनपुर/नगर शिक्षा अधिकारी, जीनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप विद्यालय का पुनर निरीक्षण कर लें और पूर्वालेख संतुष्ट हो लें कि विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानक के अनुसार निर्मित है और संशम प्राधिकारी द्वारा विद्यालय भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार निर्मित होने के प्रमाण पत्र के निर्भत होने की पुष्टि कर लें, विद्यालय में स्थापित अग्निशमन यंत्र ड्रियाशील है तथा सासनादेश दिनांक 08.05.2013 के द्वारा निर्वाचित मानकों की पूर्ति करता है, अन्यथा की शिथति में एक साथाक के अन्वर अद्योहराताकारी को अवगत करायें।

4 जिला समाज कल्याण अधिकारी, जीनपुर।

5 अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जीनपुर।

6 पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जीनपुर।

7 कार्यालय गार्ड फाइर।

15/Apr
प्रबन्धक
मान्यता की पृष्ठम् द्वारा दिया गया अनुसार
विद्यालयकारी, जीनपुर।

Minh
01.05.25
Principal
Maa Durga Ji Jr. High School
Baraiya Kazee
Jaunpur (U.P.)

(राम प्रदेश)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
जीनपुर।